प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 नवम्बर, 2019

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम (वर्तमान में पी0एम0जे0वी0के0) के अन्तर्गत जनपद-गाजियाबाद, बहराइच, हरदोई, अलीगढ़, एवं गोण्डा के अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्ड में कराये गये बेस लाइन सर्वे हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की सम्मिलित धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/58/2013-पी0पी0, दिनांक 09.03.2017 द्वारा जनपद-गाजियाबाद, पत्र संख्या-3/58/2013-पी0पी0, दिनांक 18.07.2017 द्वारा जनपद अलीगढ़, हरदोई, एवं बहराइच तथा पत्र संख्या-13/329/2017-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 08.04.2019 द्वारा जनपद-गोण्डा के अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों में कराये गये बेस लाइन सर्वे के लिए कुल अनुमोदित धनराशि रू0 59.50 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु निम्न सारिणी के कॉलम-4 में उल्लिखित संस्था को कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 35.70 लाख (रूपये पैंतीस लाख सत्तर हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले कुल राज्यांश रू0 23.80 लाख (रूपये तेईस लाख अस्सी हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 59.50 लाख (रूपये उन्सठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित बजट रू0 100.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	कार्यदायी संस्था	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि		अवमुक्त कुल धनराशि (के0+रा0)
									केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गाजियाबाद	अल्पसंख्यक बाहुल्य वि0ख0- रजापुर एवं भोजपुर में बेस लाइन सर्वे	ग्रुपियस सोशल वेलफेयर सोसायटी डेवलपमेण्ट सर्विसेज इण्टरनेशनल संस्था	02	3.50	4.20	2.80	7.00	4.20	2.80	7.00

http://shasanadesh.up.gov.in

2	बहराइच	बहराइच के अल्पसंख्यक बाहुल्य वि0 खण्ड में बेस लाइन सर्वे	नेहरू युवा मण्डल	09	3.50	18.90	12.60	31.50	18.90	12.60	31.50
3	हरदोई	हरदोई के अल्पसंख्यक बाहुल्य वि0 खण्ड में बेस लाइन सर्वे	रविन्द्रनाथ टैगोर ग्रामोत्थान एवं शिक्षा प्रसार संस्थान, लखनऊ	01	3.50	2.10	1.40	3.50	2.10	1.40	3.50
4	अलीगढ़	अलीगढ़ के अल्पसंख्यक बाहुल्य वि0 खण्ड में बेस लाइन सर्वे	ग्रामीण महिला एवं बाल विकास संस्थान	01	3.50	2.10	1.40	3.50	2.10	1.40	3.50
5	गोण्डा	गोण्डा के अल्पसंख्यक बाहुल्य वि0 खण्ड में बेस लाइन सर्वे	रूरल एजूकेशन डेवलपमेण्ट सोसायटी	04	3.50	8.40	5.60	14.00	8.40	5.60	14.00
		योग				**35.70**	**23.80**	**59.50**	**35.70**	**23.80**	**59.50**

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -1/2019/बी0-1-170/दस/ 2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(15)(ख) में निर्धारित व्यवस्था निम्नवत् है:-

" यदि प्रशासकीय विभाग किसी प्रकरण में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एक साथ जारी किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य पाते है, तो प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी कर सकते है।"

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गयी उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्नगत धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) समेकित रूप से जारी की जा रही है।

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सम्बन्धित **जिलाधिकारी** को हस्तान्तरित की जायेगी तथा **जिलाधिकारी** द्वारा बेस लाइन सर्वे की गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 में उल्लिखित संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी

(2)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 एवं 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3)- प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी सर्वेकारी संस्था की होगी।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है ।**

(5)- उपरोक्त परियोजनाओं हेतु **अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।**

(6)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए **अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।**

(7)- **आगणन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि** का नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(8)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी ।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा, जिस मद/कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

(12)- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13)- किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-**0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान का कार्यान्वयन(के0 60/रा0 40-के0+रा0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)** के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-888/दस-2019, दिनांक 20-11-2019 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या– वी0आई0पी0-75(1)/बावन-1-2019-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गाजियाबाद, बहराइच, हरदोई, अलीगढ़ एवं गोण्डा ।
8- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद, बहराइच, हरदोई, अलीगढ़ एवं गोण्डा ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in